न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं. 19/2017/विविध

श्रीमती प्रवीणा टेलर पत्नि कैलाशचन्द टेलर
निवासी रावतभाटा जरिये मु. नामा आम श्री अजय टेलर पुत्री
कैलाश चंद टेलर निवासी मकान नम्बर 76 नया बाजार
रावतभाटा पोस्ट भाभानगर रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

–प्रार्थी

बनाम

1. राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़

–अप्रार्थी

अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़
दिनांक 10.11.2017 प्र.सं. एलआर 41/2015

उपस्थित – 1. श्री रतनलाल कुमावत– अभिभाषक प्रार्थी
2. श्रीमती वन्दना चौखडा – राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 05.01.2018

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 41/2015/एलआर अनुवानी श्रीमती प्रवीणा टेलर बनाम राज्य सरकार मे दिनांक 10.11.17 को निर्णय पारित किया गया था जिसके द्वारा अपीलान्ट की अपील खारीज की गई है। जिसके सम्बन्ध मे यह विविध प्रार्थना पत्र बाबत् पुनर्विलोकन प्रस्तुत हुआ है जिसके माध्यम से अपील अपीलान्ट का यह कथन है कि ग्राम झालरबावडी चारभुजा मे जमीन नक्शे मे तरमीम नही हुई है। पूर्व मे रावशिव चरण सिह द्वारा बेचे गये भू–खण्ड धारियो के विरूद्ध 1992 मे धारा 91 रा0ले0एक्ट की कार्यवाही चली थी जिसमे न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार रावतभाटा ने दिनांक 04/03/1992 को धारा 91 रा0ले0एक्ट की सभी कार्यवाहियां इस आधार पर ड्रोप की थी कि ग्राम झालरबावडी चारभुजा मे जब तक पुरी जमीन का सर्वे होकर नक्शे मे तरमीम नही हो जाती तब तक यह सिद्ध नही किया जा सकता है कि उपरोक्त विपक्षीगण जिस भूमि पर काबिज है वह भूमि सिवाय चक की है या रावशिव सिंह की निजी सम्पत्ति है। अतिरिक्त तहसीलदार रावतभाटा द्वारा दिये गये आदेश की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। तहसीलदार रावतभाटा ने सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया है। विधि का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि बिना पक्षकार को सुने कोई निर्णय पारित नही किया जा सकता है। मेरे द्वारा

खरीद की हुई जमीन रावशिव चरण की निजी भूमि है, यह भूमि राजस्व की भी नही है, और चरनोट की भी नही है और यह भूमि आबादी भूमि है। पुनर्विलोकन हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय मे निर्धारित अवधि मे प्रस्तुत किया गया है। अतः निवेदन है कि पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का आदेश प्रदान करावे।

2. बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई जिससे जाहिर है कि यह भूमि पूर्व मे जागीरदार शिवचरण सिहं द्वारा भू–खण्ड धारियो को बेचान की गई है जिसकी तरमीम अभी तक नही हुई है। इसी सम्बन्ध मे न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार, रावतभाटा ने भी दिनांक 04/03/1992 को धारा 91 एलआरएक्ट की सभी कार्यवाहियां इसी आधार पर ड्रोप की गई थी कि ग्राम झालरबावडी चारभुजा मे जब तक पुरी जमीन का सर्वे होकर नक्शे मे तरमीम नही हो जाती तब तक यह सिद्ध नही किया जा सकता है कि उपरोक्त विपक्षीगण जिस भूमि पर काबिज है वह भूमि सिवायचक की है या रावशिवचरण सिंह की निजी सम्पत्ति है। पुनर्विलोकन प्रार्थना के साथ उक्त आदेश की फोटो प्रति भी संलग्न हुई है साथ ही बयनामे की प्रति भी प्रस्तुत की है जिससे स्पष्ट जाहिर है कि जब तक यह बिन्दू तय नही हो जाता है कि यह भूमि राजकीय है अथवा निजी। तब तक अपीलान्ट/प्रार्थिया के विरूद्ध किसी प्रकार की धारा 91 एलआरएक्ट की कार्यवाही नही हो सकती है। अतः पुनर्विलोकन प्रार्थना प्रार्थिया स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10/11/2017 मे संशोधन किया जाना विधिक रूप से अनिवार्य हो जाता है। फलतः अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) चित्तौडगढ द्वारा प्रकरण संख्या 8/2013 मे पारित निर्णय दिनांक 20/07/2015 अपास्त किया जाता है साथ ही नायब तहसीलदार/तहसीलदार रावतभाटा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि की तरमीम शीघ्र कराई जावे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रार्थिया/अपीलान्ट जिस भूमि पर काबिज है वह राजकीय है अथवा बेचान कर्त्ता की निजी सम्पत्ति है। जब तक यह बिन्दू तय नही हो तब तक उनके विरूद्ध किसी प्रकार की धारा 91 एलआरएक्ट की कार्यवाही नही की जावे। विविध प्रार्थना पत्र निर्णित होकर दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ